रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2018–20
चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –12 ● कानपुर 16 से 30 जून 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

अब समय है कठोर निर्णय लेने का

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रोज़ नये–नये परिवर्तन होते रहते हैं यह परिवर्तन अगर सकारात्मक हों तो पद्धति के विकास में सहायक होते हैं और जब यह परिवर्तन नकारात्मकता का स्वरूप ले लेते हैं तो पद्धति के विकास को अवरूद्ध करने लगते हैं. इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य नहीं करना है तो फिर इस पद्धति को अपने असफल प्रयासों से दूषित क्यों कर रहे हैं ?सोचने के बाद मन में यही उत्तर आता है कि शायद जो साख उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कमायी है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते और भुना तो पा ही नहीं रहे हैं, इन्हीं सम विषम परिस्थितियों के कारण इलेक्ट्रो होम्यैथी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पा रही है जो उसे प्राप्त कर लेना चाहिये, जब हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय अधिकार दिलाने के लिए सरकार से लड़ते थे तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी चरम पर थी, आज जब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए सारे अधिकार दे दिये गये हैं तब भी हम विकास की राह पर बढ़ नहीं पा रहे हैं ! यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिस पर यदि शीघ्र उत्तर नहीं पाया गया तो शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उस विकास का सपना जो हम सब लोगों ने देख रखा है शायद आसानी से सम्भव न हो सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को विकास के रास्ते पर ले चलना है तो हमें कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष या संस्था के लिए न होकर सामूहिक हों क्योंकि अब समय आ गया है कि निजी हितों से ऊपर उठकर सिर्फ चिकित्सा पद्धति के लिए कार्य किया जाये इसके मूल में यह है कि जब कोई चिकित्सा पद्धति पुष्पित पल्लवित होती है तो उससे जुड़ा हर व्यक्ति स्वतः समृद्धिशाली हो जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और सम्भावनायें भी असीम हैं इन सम्भावनाओं से परिणाम निकालना हमारा अपना कार्य है,आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम करने की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कहीं पर कोई रूकावट या असहजता जैसी बात नहीं है फिर भी तालमेल की जगह घालमेल का काम जारी है, सबसे संकट पैदा करने वाली बात औषधि निर्माण क्षेत्र से है आज पूरे भारत में सैकड़ों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि निर्माण– शालायें जन्म ले चुकी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नवीनतम आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनाने से पूर्व औषधियों के प्रयोग पर टिप्पणी की है, जबकि हर औषधि निर्माता गुणवत्ता युक्त औषधि निर्माण का दावा कर रहा है, हम उनके दावे को खारिज नहीं करते लेकिन यदि कभी कोई परीक्षण हो जाये तो वह परीक्षण की हर कसौटी पर खरा उतरे, पहले कागजी सत्यापन होते थे अब भौतिक सत्यापन का समय है इसलिए अगर किसी निर्माण – शाला का भौतिक सत्यापन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाये तो निर्माण शाला संचालक अपनी निर्माण प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में अधिकारी को बता कर संतुष्ट कर दे थोड़ी बहुत कमी है तो उसके लिए समय मिल सकता है लेकिन जहां कुछ भी नहीं है और उस विषय पर गलत प्रचार किया जाये तो यह विषय कभी भी उचित नहीं ठहराया जायेगा।

इन सारे गम्भीर विषयों पर चिन्तन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय का 21 जून, 2011 का आदेश काफी है यह आदेश स्पष्ट एवं अधिकार प्रदान करता है और इस आदेश से यह भी स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो भी कार्य होंगे वे 25 नवम्बर, 2003 में वर्णित निर्देशों के अनुसार ही किये जायेंगे और सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को यह स्पष्ट आदेश भी है कि इस आदेश को हर राज्य अपने यहां लागू करे, इस तरह से पूरे देश में 21 जून, 2011 के अनुसार कार्य किया जा सकता है, जो लोग इसको विरूद्ध कार्य करते हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कभी भी सहायक नहीं सिद्ध हो सकते हैं। राज्य सरकारें अपने राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करें और जो संस्था 21 जून, 2011 के अनुरूप कार्य कर रही हो, सरकार उन्हें अपना सहयोग व समर्थन प्रदान करे,कारण यदि एक संस्था विधि सम्मत ढंग से और निर्देशों का पालन करते हुए कार्य कर रही है वही अन्य संस्थायें मन माने ढंग से कार्य कर रही हों ऐसी स्थिति में कार्यों का सही मूल्यांकन नही हो पाता है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि जो संस्थायें वास्तविक कार्य कर रही हों वह बिना किसी गठजोड़ के अकेले ही कार्य करें क्योंकि सफलता पाने के लिए दो चार लोगों की राय की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि व्यक्ति अकेले ही कार्य करते हुए परिणामों को प्राप्त कर सकता है, परिणाम हमें हर हाल में पाने हैं इसके लिए हम हर रचनात्मक कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। निराशा और भय के लिए अब कोई स्थान नहीं है न तो रास्ता दुर्गम है। जब सब कुछ स्पष्ट और साफ साफ है तो कार्य करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये हम अभी प्रयास करेंगे कि हमारे जो नौजवान और बुजुर्ग साथी किसी कारण वश दिशा भ्रमित हो गये हैं वह वास्तविकता से परिचित हों और जिस ऊर्जा के साथ पूर्व में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य कर रहे थे उसी ऊर्जा को एक बार फिर से संक्षिप्त करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में अपना योगदान दें, हम इन्तेज़ार करेंगे कि पूरी निष्ठा के साथ लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ें यदि लोग नहीं जुड़ते हैं तो हमें अकेले चलने में भी कोई गुरेज़ नहीं होगा, कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उसे पूरा करना हम अपना धर्म समझते हैं और इस धर्म को निभाने में यदि हमें कुछ साथियों से बिछुड़ना भी पड़े तब भी उस कष्ट को बर्दाश्त करते हुए हम अपना धर्म निभायेंगे क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के लिए नहीं है।

4 जनवरी का आदेश– पंजीयन के लिये

एक बार पूरे प्रदेश में फिर से पंजीयन का मुद्दा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है, कल तक हमारे जो साथी पंजीयन के विषय पर नकारात्मक राय रखते थे आज वही लोग पंजीयन की सर्वाधिक वकालत कर रहे हैं। पंजीयन होना आवश्यक है या नहीं?यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि प्रदेश में जो भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेगा वह अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अवश्य करेगा, यद्यपि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अब मुख्य चिकित्साधिकारी सिर्फ एलोपैथी चिकित्सकों का पजीयन करेंगे, आयुर्वेदिक–युनानी के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्राधिकारी तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक अधिकारी करेंगे, परन्तु जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं होता है, तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां ही करना है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में कौन चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र है और वह कौन से चिकित्सक हैं जिन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी है। वैसे हमने अभी तक यह भेद नहीं किया, आप को याद होगा कि 4 जनवरी, 2012 को जब उत्तर प्रदेश शासन ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी किया था उसके बाद पहली ही पत्रकार वार्ता में हमने कहा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए है, हम अपने इस वाक्य पर आज भी अडिग हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वह हमें विवश कर रही हैं कि हम सिर्फ अपने ही चिकित्सकों का संरक्षण करें, इस वस्तुस्थिति से प्रदेश का हर संस्था संचालक परिचित है कि प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान का कार्य करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है ? अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विभिन्न संस्था संचालकों द्वारा जो प्रयास किये गये उससे हर व्यक्ति परिचित है और इन प्रयासों से जो परिणाम प्राप्त हुए वह भी किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले दिनों कुछ जनपदों के अधिकारियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की जांच का कार्य प्रारम्भ किया और अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करने की अधिकारिता के सम्बन्ध में जानकारी चाही, यद्यपि हर अधिकारी इस बात से भली–भाँति परिचित है कि प्रदेश में सिर्फ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए ही शासनादेश जारी है और इसी संस्था से शिक्षित, प्रशिक्षित एवं पंजीकृत चिकित्सक ही चिकित्सा व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं, फिर भी अधिकारी जो मांगे उसे उपलब्ध कराना चाहिये तभी अधिकारी संतुष्ट होता है, बोर्ड ने हर अधिकारी को संतुष्ट कर रखा है कुछ जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने बाकायदा यह लिख कर स्वीकार किया है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सक ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है। जैसाकि हमारे संगठन की परम्परा है कि हम कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं हमने इन पत्रों को सार्वजनिक भी किया, लोगों ने ऐसी जुगत जुटाई और ऐसे प्रचारित किया कि मानों 4 जनवरी, 2012 का आदेश प्रदेश के सभी चिकित्सकों के ऊपर प्रभावी है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं सच्चाई कभी छिपती नहीं है और अधिकारों पर अतिक्रमण या बलात अधिकारी बनना कभी भी लाभप्रद नहीं होता है ऐसा नहीं कि इस तरह के प्रयास पहली बार किये गये हैं, इसलिए अभी भी समय है कि लघु मार्ग छोड़कर कार्य करने की आदत डालें हमारी लड़ाई सम्पूर्ण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए होती है और हमारा उद्देश्य सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों के कल्याण का है।

अपने और दूसरे की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना हमारी संस्कृति में है। इसके उपरान्त भी यदि कोई व्यर्थ का प्रयास करेगा तो परिणाम पूर्ववत ही होंगे।

बढ़ रही है अनिश्चितता

जब भी किसी चींज व वस्तु में अनिश्चितता लग जाती है तो तमाम तरह के झंझावत सामने आते है चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी न तो वस्तु है और न ही चीज है यह देश के लाखों लोगो का भविष्य है।

''सामान्यतयः ऐसा देखा जाता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा होती है यह अलग बात है कि कुछ की महत्वकाक्षायें पूर्ण होती हैं और कुछ जीवन भर अपनी महत्वकाक्षाओं की पूर्ति के लिये प्रयासशील बनें रहते है।''

दुर्भाग्य है कि पिछले लगभग 150 वर्षो से इस चिकित्सा पद्धति के साथ छल किया जा रहा है सबसे से मजेदार बात यह है कि यह छल कोई बाहरी न करके अपने ही कर रहे है। यदि हम पिछले दो तीन वर्षो के कार्यक्रम देंखे तो हम पायेंगे कि जो कुछ भी घटता है उसके आस पास हम ही होते है सुना तो जाता है कि समस्याओं की समाप्ति के लिये प्रयास किये जाते है परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी प्रयास होते है वह एक नई समस्या का जन्म देते है जब प्रयासो की बात आती है तो ऐसा लगता है कि जितने भी लोग लगे है सब के सब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति पूर्ण समर्पित है। परन्तु जैसे ही इनके अन्दर का नेता जागता है सब कुछ तार तार हो जाता है चाहे इन्टर डिपार्टमेन्टल कमेटी की बात हो या सामने चर्चा की।

6 महीने छुट्टी के बाद एक बार फिर लोगो का जोश जागा है फिर से मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है सब लोग प्रयास करने में लग गये है लेकिन जो भी कुछ दिख रहा है वह कही से मजबूत नही दिखायी पड़ रहा है, आज आवश्यकता है कि किसी ऐसे मजबूत संगठन को आगे आना चाहियें जो सरकार के पास अपना पक्ष मजबूती से रख सकें।

तमाम बिन्दुओं पर विचार करने के बाद जो दृष्य उभरकर सामने आता है वह यह विचारने पर विवश कर देता है कि इतनी जागरुकता फैलाने के उपरान्त भी चिकित्सक के मन में यह अनिश्चितता जैसा भाव आख़िर क्यों है ! आज की तिथि मे भी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये स्वस्थ वातावरण है, स्वस्थ वातावरण के साथ–साथ पूरी अधिकारिता भी है, अधिकारों के रुप में 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान का आदेश जिसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूती प्रदान करने के साथ–साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने व शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी प्रदान किया है।

जब हमारे चिकित्सकों के पास इतने मज़बूत अधिकार हैं तब भी वे विचलित आख़िर क्यों होते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रुप से हमें ख़ोजना होगा अगर इतने अच्छे वातावरण में हमारा चिकित्सक कार्य करने से घबड़ाता है तो कल जब मान्यता मिल जायेगी तब वह अपने आपको किस ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत करेगा ! एक प्रश्न बार–बार हमारे मन को परेशान करता है कि क्या हमारा चिकित्सक अपना आत्म–विश्वास खो चुका है ! या प्राप्त अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है !! गहनता से चिन्तन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलकर आता है कि न तो चिकित्सक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है और न ही खोये आत्म–विश्वास वाला वह अति सुरक्षा के चक्कर में अनिश्चित रहता है, हर चिकित्सक को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि वह चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में है तो उसे हर उस नियम का पालन करना होगा जो नियम जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु सरकार द्वारा बनाये गये हैं और यहां पर नियमो का पालन नहीं करना हमारे चिकित्सकों की सबसे बड़ी कमी है, अभी भी ऐसे चिकित्सकों की बहुतायत है जो बिना पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त हैं, चिकित्सा व्यवसाय के लिये यह आवश्यक है कि चिकित्सक जिस विधा का चिकित्सक है उसे अपना पंजीयन अपने बोर्ड/परिषद में कराना आवश्यक होता है जो लोग ऐसा नही करते हैं वे चिकित्सा व्यवसाय के योग्य नहीं होते हैं, उन्हे चिकित्सा करने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अब पंजीयन लाईफ़–टाईम नहीं होता है हर पंजीयन की एक अवधि निर्धारित है निर्धारित अवधि के बाद एक बार कराया गया पंजीयन बैध नहीं रहता है अस्तु हर चिकित्सक को चाहिये कि अपने पंजीयन की वैधता ठीक–ठाक रखे और सबसे बड़ी समस्या एक और है कहने को तो कोई कुछ भी कहे परन्तु यह सत्य है कि हमारे चिकित्सकों में अधिकांश संख्या उनकी है जो अपनी पद्धति पर भरोसा न करते हुये दूसरी अन्य पद्धतियां अपने चिकित्सकीय व्यवहार में लाते हैं, ऐसे चिकित्सक कैसे खुलकर कार्य कर सकेंगे ऐसे लोग ही नयी–नयी अफ़वाहों को जन्म दिया करते हैं और स्वयं में अनिश्चितता पाले रहते है इस अनिश्चितता को दूर करना ही होगा तभी हम प्रगति कर सकते है।

छात्रों जैसा उत्साह हो

किसी भी चीज़ अथवा ज्ञान को पाने के लिए उत्साह का होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उत्साह जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और यही हमारे कार्य में सुग्रहीता को जन्म देता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए भी उत्साह का होना बहुत आवश्यक है बिना उत्साह के कोई भी कार्य प्रगतिपूर्ण नहीं होता है।

आपके पास सबकुछ उपलब्ध हो और उस प्राप्त वस्तु या प्राप्त अधिकार को उपभोग करने के लिए उत्साह न हो तो अच्छी से अच्छी उपलब्धि भी व्यर्थ हो जाती है और जहाँ पर उत्साह होता है वहाँ हर काम भले ही वह कितना कठिन क्यों न हो उत्साह के चलते तत्काल पूरा हो जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास कार्य करने के सारे अधिकार हैं और यदि हमारे साथी अधिकारिता पूर्वक इन अधिकारों का प्रयोग करते होते तो शायद स्थिति आज बहुत अच्छी होती ! हम जिन अधिकारों के लिए आज भी स्वयं को पाने के लिए खोज रहे हैं वह अधिकार 4 जनवरी, 2012 को उ0प्र0 चिकित्सा अनुभाग 6 द्वारा ही हमको दिये जा चुके हैं यह आदेश इतना प्रभावी है कि जब तक इस चिकित्सा पद्धति को पूर्ण मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक यह शासनादेश ही लाभकारी रहेगा लेकिन इस आदेश के आने के 6 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी हम सब वह नहीं पा पाये जो हमारे चिकित्सकों को प्राप्त होना चाहिये था।

यदि हम इस स्थिति पर एक दृष्टि डालते हैं तो यही नज़र आता है कि हमारे चिकित्सक पता नहीं किस हताशा में हैं जो अच्छी से अच्छी उपलब्धि को भी उपभोग में नहीं ला पा रहे हैं इसके पीछे कहीं न कहीं जो कारण छिपा है वह है उत्साह हीनता ! उत्साह का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी रास्ता बहुत लम्बा है और इसी रास्ते पर चलते हुए हमें प्रगति का रास्ता ढूढ़ना है। उत्साह के जो कारक होते हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है दृढ़मनः स्थिति, हमें याद आता है कि जब कोई नया छात्र प्रवेश लेता है तो उसके मन में बहुत उत्साह होता है वह अपने भावी भविष्य के लिए हर चीज़ बड़े उत्साह से लेता है विद्यालय भी आता है कक्षायें भी नियमित रूप से अटेंड करता है तथा जो भी कोई आन्दोलन या कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेता है और जितने भी अवधि का पाठ्यक्रम होता है उसे सफ़लतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करता है।

ठीक इसी तरह से व्यवसाय के लिए सारी औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त जब वह अपने व्यवसाय में बैठा है तो उसे उत्साह के साथ काम करने में बड़ा आनन्द आता है परिणाम स्वरूप उसे वह सब उपलब्ध होता है जिसकी अपेक्षा वह करता है।

आज इसी तरह के भाव की आवश्यकता हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के अन्दर दिखायी पड़ती है क्योंकि समय के साथ जो कोई नहीं चलता वह बहुत पिछड़ जाता है, पहले हम सारे के सारे लोग इस बात के लिए आन्दोलन करते थे कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई सरकारी आदेश आ जाये, प्रयासों के बाद 4 जनवरी, 2012 का आदेश आया वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और जिस चीज़ के लिए हम लोग वर्षों से संघर्ष रत थे वह प्राप्त हुआ ऐसा नही है कि 4 जनवरी, 2012 का आदेश आसानी से प्राप्त हो गया होगा वर्ष 2003 के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पूरे देश में जो स्थिति हुई वह तो यही बताती थी कि शायद अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पुर्नजन्म ही मुश्किल से होगा, लेकिन देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों और प्रदेश के चिकित्सकों के मनोभाव का परिणाम था कि सत्य की विजय हुई 25 नवम्बर, 2003 को जिस आदेश के कारण पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अवनयन प्रारम्भ हुआ था वही 25 नवम्बर, 2003 का आदेश संजीवनी बनके काम आया 5–5–2010 को भारत सरकार के स्पष्टीकरण के साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दिन बदलने लगे थे सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि जिस बन्दी की बात बार–बार की जा रही थी वह बन्दी सरकार द्वारा कभी की ही नहीं गयी थी। लेकिन 5–5–2010 का आदेश मात्र स्पष्टीकरण निकला प्रयोगिक नहीं था तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने प्रयास किये और वह एतिहासिक आदेश निकाला जो पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 21 जून, 2011 का यह आदेश जो पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की स्पष्ट अनुमति देता है साथ–साथ इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी केन्द्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का अनुपालन कर क्रियान्वित करें इसी आदेश का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 जैसा महत्वपूर्ण आदेश पारित किया और उत्तर प्रदेश राज्य भारत का वह पहला राज्य बना जहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई सकारात्मक शासनादेश जारी हुआ।

आदेश आया सबने खुशियां मनायीं परन्तु लक्ष्य हमारा अभी भी पूरा नहीं हुआ हमारी इच्छा थी कि हमारा हर चिकित्सक अधिकारपूर्वक कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाये और प्रगति की लड़ाई के लिए हमारे सब साथी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढें लेकिन 6 साल बीत गये 2012 से 2018 हो गया लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया हमारे चिकित्सकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन तो हुआ लेकिन वह इसे आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं यदि उन्होंने पूरे मनोयोग से इस अधिकार को स्वीकारा होता तो शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी यदि शिखर पर नहीं होती तो शिखर के आस पास ज़रूर होती लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है ! समय का चक्र बदलता है मनःस्थित में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन सब कुछ बदलने में सक्षम होता है। हम कर्मयोगी हैं और कर्म पर भरोसा करते हुए भविष्य की नीति निर्धारित करते हैं परिणाम कर्म से ही मिलते है।

यह कटुसत्य है कि विकास ही राह दिखाता है हमारे चिकित्सक भी एक न एक दिन अपने अधिकारों को समझेंगे ओर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नया आयाम देंगे और यही आयाम हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे अच्छे भविष्य के लिये यह आवश्यक है कि हमारे कार्यो का समुचित मूल्य निकाला जाये तभी जिस अभिष्ठ के लिये हम सब प्रतिबद्ध हैं वह प्रतिबद्धता निभा सकें।

आन्दोलन सोच समझ कर करें

आज सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में विचित्र प्रकार के आन्दोलन चलाये जा रहे हैं इन आन्दोलनों का परिणाम कितना अच्छा होगा यह तो हर आन्दोलन चलाने वाला जानता है. पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की लड़ाई लड़ने वालों की एक लम्बी श्रंखला है और ये सारे के सारे लोग अपने–अपने ढंग से मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन निष्पक्षता से विचार किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस लड़ाई को कौन वास्तविक रूप से लड़ रहा है ?सत्यता तो यह है कि अधिकांश आन्दोलन करने वाले हमारे नेतागण अपने व्यक्तिगत हितों को सामने रखकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं. लड़ाई का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, जिसको जो समझ में आता है उसी का प्रचार करना शुरू कर देता है, कोई प्रपोज़लों के माध्यम से, तो कोई कोर्ट के माध्यम से, तो कोई मीटिंगो एवं सम्मेलनों के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं।

मान्यता के सभी पक्षधर हैं जैसा कि हम कई बार लिख चुके हैं लेकिन मान्यता जिस ढंग से लेनी चाहिये उसका एक प्रारूप होना चाहिये, जो नीति बनायी जाये वह स्पष्ट व पारदर्शी हो और उस नीति पर यदि सर्वसम्मति न बन पाये तो कम से कम 80 प्रतिशत लोगों का समर्थन तो प्राप्त हो ही, इसका लाभ यह होगा कि कोई भी किसी भी नीति का आसानी से विरोध नहीं कर पायेगा, अभी तक जितने भी आन्दोलन हुए हैं उन्हें सफलता इस लिए नहीं मिली है क्योंकि आन्दोलन– कर्ता यह स्वयं तय करता है कि उसे आन्दोलन को क्या स्वरूप देना है ? जो आन्दोलन दीर्घ कालीन और जनहित से जुड़े होते हैं उन्हें सफलता तो अवश्य मिलती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन अन्य आन्दोलनों से प्रथक है क्योंकि यह आन्दोलन सीधे– सीधे मानव जीवन से जुड़ा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्षों से इस देश में अपना प्रचार व प्रसार कर रही है, एक शताब्दी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि इसकी समकालीन अन्य चिकित्सा पद्धतियां काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। यह एक चिन्तन विषय है कि आखिर ऐसा क्यों है ? जब–जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की बात आती है तो मान्यता देने वाले अधिकारी इस चिकित्सा पद्धति की तुलना अन्य प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों से करते हैं और जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो परिणाम यही आता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अभी उतना विकास नहीं हुआ जितना की किसी मान्यता पाने वाली चिकित्सा पद्धति के लिए होना चाहिये। किसी भी अधिकारी का यह कहना बड़ा आसान होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का स्तर वह नहीं है जो होना चाहिये लेकिन सच्चाई यह है कि सन 1953 के बाद क्या किसी सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यों का मूल्यांकन किया ? इस चिकित्सा पद्धति से कितने असाध्य और मृत्यु के मुहाने में बैठे रोगियों को लाभ मिला ? क्या कभी किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि कैंसर जैसी गम्भीर और जटिल रोगों में इस चिकित्सा पद्धति की जो दावेदारी जाती है उसकी वास्तविकता क्या है ?सत्य तो यह है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने वाले का कभी भी समर्थन नहीं किया गया, हास्य और उपेक्षा का दंश झेलते–झेलते हमारे चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यहाँ तक ला पाये हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करना और काम के परिणाम लेना इस बात के स्वतः प्रमाण होते हैं कि कार्य करने वाले की कार्य कुशलता पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है।

यह तो हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि 5–5–2010 और 21–6– 2011 तथा 4 जनवरी, 2012 जैसे महत्वपूर्ण आदेश आज हमारे पास हैं और यह आदेश हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को कार्य करने का अधिकार देते हैं लेकिन जो वैधानिकता हमें मिलनी चाहिये वह हमें संघर्ष करते हुए मिली है, इसे बनाये रखना हमारा दायित्व है।

मान्यता के लिए संघर्ष करना भी हमारा कर्तव्य है लेकिन इस संघर्ष को जो दिशा मिलनी चाहिये वह दिशा भ्रमित हो चुकी है बार–बार आश्वासनों के बाद जब हमारे आन्दोलनकारी सफलता नहीं पाते हैं तो साथियों में निराशा व अविश्वसनीयता का भाव पैदा होता है और लोगों का जुड़ाव धीरे–धीरे कम होने लगता है, पहले एक संगठन ने देश व्यापी आन्दोलन चलाया, हर प्रदेश का दौरा किया, जगह–जगह मीटिंग कीं , लोगों को जोड़ा गया, सदस्य बनाये गये, प्रपोज़लों का दौर चला, लोगों ने कहा कि जिनका प्रपोज़ल सरकार के पास गया है वही काम करेंगे बाकि कोई काम नहीं करेगा, प्रपोज़लों के माध्यम से स्वरूप तो ऐसा बनाया गया कि शायद अब मान्यता मिल ही जायेगी, एक निश्चित तिथि भी दे दी गयी और कहा गया कि इस तिथि तक मान्यता अवश्य मिल जायेगी, यदि सरकार ने घोषित तिथि तक मान्यता नहीं दी तो आर–पार की लड़ाई होगी, तिथि भी पार हो गयी, आर–पार की लड़ाई भी हो गयी, पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कुछ नहीं मिला, मनुष्य का स्वभाव होता है परनिन्दा सुनने में उसे आनन्द बहुत आता है लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ ?

प्रयास हर तरह से करना चाहिये लेकिन जो कदम उठाये जायें पहले उस पर गम्भीर विचार मंथन होना चाहिये उसके बाद कार्य होना चाहिये लेकिन आज स्थिति यह नहीं है व्यक्तिगत महत्वाकक्षांओं और प्रचार पाने के लोभ में तरह–तरह के हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं, अपने सिद्धक साधकों के माध्यम से कुछ बातें ऐसी प्रचारित की जाती हैं जिनके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं।

माननीय सुप्रीप कोर्ट के आदेश को लेकर जिस तरह का भ्रम फैलाया गया उसने अविश्वसनीयता को जन्म दिया है, लोग एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं गलत दावे समाज में भ्रम के साथ– साथ अविश्वास को जन्म देते हैं कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह ही केवल कार्य कर सकते है, उन्हें शायद यह पता नहीं है कि यह देश कानून का देश है और यहां सबको कार्य करने का अधिकार है बशर्ते लोग कार्य नियमानुसार करें।

पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज़्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लेने में है और अधिकार भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखते हैं, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिंचता जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्या है ? तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा नहीं हुयी जिस समस्या का समाधान न हो और समाधान में अस्तु , किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है, देखा जाये तो अब समस्या है ही कहाँ ! जो भी समस्यायें हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वे सारी की सारी हमारे द्वारा ही तो पैदा की गयी हैं क्योंकि लोग अपने हित के लिए आन्दोलन पर आन्दोलन किये जा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग क्या चाहते हैं ?

जब सरकार ने आपको काम करने का अधिकार दे रखा है तो आप काम न करके आन्दोलनों एवं कोर्टों की तरफ क्यों भाग रहे है ? अगर हम मन से स्थिर हो जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो शनै–शनै समस्यायें स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा निर्मित कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने की यह कोई समस्या नहीं है–21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार देता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर, 2013 तथा 14 मार्च, 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूर्वक कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो किसी का क्या दोष ?न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, अब लोग मेडिसिन की बात उठा रहे हैं, आप स्वयं ही निर्णय करें कि समस्या खुद पैदा कर रहे है या नहीं अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की नैतिकता है ? भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि चिकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें,अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता फिर अधिकार पूर्वक कार्य करता ऐसे में समस्या कहाँ थी ?लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं ही समस्यायें पैदा कर लीं।

जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है तथा न्यायालय हमें प्रतिबन्ध लगा रहा है, ऐसे लोग भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, सरकार किसी से भेद– भाव नहीं करती है हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा ?देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही पड़ेगा।

किसी शायर की यह पंक्तियां कि– खुद ही को कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले – खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है ? इसलिये कर्म करो। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है–कर्म करो! फल की चिन्ता मत करो !!

अब केवल आन्दोलन होने चाहिये, कार्य करने के लिए कितना अच्छे से अच्छा हम लोगों का इलाज कर सकते है,अस्पतालों के लिए आन्दोलन होने चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी साहित्य के लिये आन्दोलन होने चाहिये, लोगों को जोड़ने के लिए आन्दोलन होना चाहिये समाज को स्वास्थ्यलाभ पहुँचाने के लिए आन्दोलन होना चाहिये, आन्दोलन से लोगों के भाव बदलते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आन्दोलन के गुण दोष के आधार पर आपके साथ सहमत या असहमत भी होते है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथों को कर्म की तुलना में आन्दोलन करने की ज़्यादा चिन्ता रहती है, इससे हमारा मतलब यह नहीं है कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये आन्दोलन होने चाहिये लेकिन सोच समझ कर, बिना सोचे समझे या केवल अपने हित के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को दाँव में लगा देना यह उचित नहीं है।